कान्तादेवी पत्नि गोपाललाल ... आसीन्द Vs. राजस्थान सरकार जरिये TDR आसीन्द

प्रकरण 556/14

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व आइकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

14/07/2017–

◄ निर्णय ►

–पत्रावली चिन्हित होने से लोक अदालत केम्प में तलब की गयी पक्षकारान उपस्थित/अनु. वादी द्वारा वाद–पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम आसीन्द पटवार हल्का आसीन्द तहसील आसीन्द के खाता संख्या 273 की आराजी नम्बंर 3447/1 रकबा 0.0214 है0 मे से रकबा 93 वर्गमीटर भूमि भंवरलाल पिता गोरीशंकर ब्राहम्ण के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज चली आ रही थी।उपरोक्त आराजी भंवरलाल से वादिया ने दिनांक 26.11.2007 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र तादादी 70000/–रू में उक्त आराजी के हिस्से को खरीद कर पंजीयन अपने नाम करवा लिया है। परन्तु तत्कालीन पटवारी की लापरवाही के परिणास्वरूप वादिया खरीदशुद्वा आराजी नम्बंर 3447/1 मे से रकबा 93 वर्गमीटर का इन्तकाल वादिया के नाम पर नही खोला गया जो वादिया के नाम खूलना आवश्यक है। वादिया को जब इस रेकार्ड के लापरवाही की जानकारी हुई तो तहसील कार्यालय आसीन्द से रेकार्ड प्राप्त कर तहसीलदार आसीन्द को पंजीयन अनुसार अमल दरामदगी हेतु निवेदन किया तो मना करने से तथा अधिकार क्षेत्र में नही होने से बिनाय वाद दिनांक 15.09.2014 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। बहक वादिया खिलाफ प्रतिवादी के इस आशय की घोषणत्मक एवं इन्द्राज दुरस्ती की डिक्री पारित फरमाई जावे की वादिया की खरीदशुद्वा आराजी नम्बर 3447/1 मे से रकबा 93 वर्गमीटर को पंजीयन अनुसार वादिया के नाम दर्ज कराया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार आसीन्द ने दोराने केम्प वादपत्र में जवाब पेश नही कर निवेदन किया की उक्त आराजी गैरकृर्षि होकर गैमु. मकान दर्ज है तथा आराजी का पंजियन वर्गमीटर में किया करवाया गया जिससे इन्तकाल दर्ज नही किया गया तथा उक्त आराजी आबादी भूमि होने से क्षैत्राधिकार में नही होने से वादिया का वाद पत्र खारीज फरमाया जावे।

तद्पश्चात दौराने केम्प उपस्थित को सूना पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया कि वादी द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वतः 2068 से 2071 के अवलोकन से जाहिर आया की आराजी नम्बंर 3447/1 रकबा 0.0214 है0 भूमि की किस्म गैमु. मकान दर्ज रेकार्ड होना प्रकट आया है। जो इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नही होने से वादीया द्वारा चाही गयी दादरसी नही दी जा सकती हैं वादिया उक्त दादरसी पाने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करे। ऐसी स्थिति में वादीया का वाद पत्र अस्वीकार पाया जाने से लिहाजा वादीया का वाद पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायालय उचित नही समझता है।

:: **आदेश** ::

दावा वादीया खारीज किया जाता है। डिक्री पर्चा मुर्तिब करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।निर्णय आज दिनांक 14.07.2017 को केम्प आसीन्द पर लिखाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

(बलवन्तसिंह लिग्री)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
आसीन्द (भीलवाड़ा)
लोक अदालत-2017

[Seal: उपखण्ड अधिकारी/कलक्टर, आसीन्द (भीलवाड़ा) लोक अदालत-2017]

Scanned by CamScanner

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.),आसीन्द बईजलास बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस.

लोक अदालत "न्याय आपके द्वार केम्प–आसीन्द

प्रकरण संख्या–556 / 2014

अनवान

1–कमलादेवी पत्नि गोपालसिंह राठौड निवासी आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा। –वादीया

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द तहसील आसीन्द जिला–भीलवाड़ा। –प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर, आसीन्द (भीलवाड़ा) लोक अदालत-2017

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एंव 136 भू राजस्व अधिनियम के लिए दावा वादी की और से वादी स्वंय एंव प्रतिवादीण की और से एड.–की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 14.07.2017 को लोक अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है, और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि:–

–::दावा वादीया का वाद खारीज किया जाता है::–

इसके वाद के खर्चे लेखे-xxx-रूपये की राशि आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर-xxx-प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित-xxx-द्वारा-xxx-को दी जावे।

यह डिक्री पर्चा आज दिनांक 14.07.2017 को मेरें हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर, आसीन्द (भीलवाड़ा) लोक अदालत-2017

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
आसीन्द (भीलवाडा)
लोक अदालत-2017

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1. वाद–पत्र के लिए स्टाम्प	02	–	शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	–	–
2.शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	01	–	अर्जी के लिए स्टाम्प	–	–
3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	02	–	प्लीडर की फीस	–	–
4.रूपयें पर लीडर की फीस	–	–	सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	–
5.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	–	आदेशिका की तामील	–	–
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	01	–	कमिश्नर की फीस	–	–
7. आदेशिका की तामील	–	–		–	–
योग	06	–	योग	–	–

Scanned by CamScanner